

प्रेस नोट

विषय—नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती/नियुक्ति के संबंध में।

नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती/नियुक्ति के संबंध में शासनादेश दिनांक 2021/9-1-2016-185सा/10टीसी, दिनांक 04.07.2016 निर्गत किया गया था।

शासनादेश दिनांक 2021/9-1-2016-185सा/10टीसी, दिनांक 04.07.2016 के क्रम में जिलाधिकारी, लखनऊ, बॉदा, कासगंज व बिजनौर से प्राप्त प्रस्तावों पर कतिपय शर्तों के अधीन शासन के पत्र दिनांक 22.12.2016 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया है।

शासनादेश दिनांक 2021/9-1-2016-185सा/10टीसी, दिनांक 04.07.2016 के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या-25403/2016 आशिफ खॉ बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा दिनांक 17.11.2016 को निम्न आदेश पारित किये गये:—

"In the meantime, it is made clear that if any action is taken de hors the Rules or the orders of the Court it shall be at peril of the respondents themselves."

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.11.2016 के अनुपालन में निदेशक, स्थानीय निकाय, समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, उ0प्र0 व समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम को शासन के पत्र दिनांक 30.12.2016 द्वारा नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती की समस्त चयन प्रक्रिया की कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।